न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-175RAAJodhpur2023-74RTA225 Ruparam Vs State of Rajashan

रूपाराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली, निवासी- गांव सोढो की ढाणी, केरू, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 16 मार्च 2023 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2023 रूपाराम बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

उपस्थित-

श्री करणसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 19 सितंबर 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2023 अनवान रूपाराम बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर में पारित आदेश दिनांक 16 मार्च 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 06 अप्रैल 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 812 में से रकबा 25 बीघा ग्राम केरू तहसील जोधपुर के संबंध धारा 88, 92-ए एवं

19.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 मार्च 2023 के जरिये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से ही अपीलांट के पूर्वजों एवं अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट खसरा नं. 812 की उक्त 25 बीघा भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। वक्त सेटलमेंट संवतः 2012 में अपीलांट के पिता रामचन्द्रजी का कब्जा काश्त था तथा वर्तमान में अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जे काश्त के संबंध में खसरा नं. 812 के खसरा परिवर्तन निर्धारित संवतः 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2051 से 2068 तक के पेश किये हैं, जिसकी ताईद तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट से होती है। वादग्रस्त आराजी के चारों ओर कच्चे पत्थरों की दीवार अपीलांट के पिता रामचन्द्र द्वारा बनवाई गई है जो अभी भी मौके पर मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जावे।

19.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 812 रकबा 10409.15 बीघा किस्म गैर मुमकिन भाकर है जो वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो नामांतरकरण संख्या 1773,1774 स्वीकृति दिनांक 25.06.2022 के जरिये जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की जाकर कब्जा जे.डी.ए. जोधपुर को सुपुर्द किया गया। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदार एवं आवश्यक पक्षकार को पक्षकार ही नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जमाबंदी संवतः 2060-2063 ग्राम केरू तहसील जोधपुर के खाता संख्या 1 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 812 रकबा 10409.15 बीघा किस्म गैर मुमकिन जोधपुर विकास प्राधिकारण के नाम से दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेजात खसरा परिवर्तनशील के अनुसार संवतः 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2051 से 2068 तक वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा है। अदालत हाजा विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत है कि अपीलांट के खातेदारी अधिकारों का निर्णय मूल वाद में तनकीयात कायम की जाकर जरिये साक्ष्य तय होना है। लिहाजा राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

19.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 मार्च 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7.9.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर